न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 40/2017/डिक्री

1. भंवरलाल पिता छोगालाल डांगी
2. भेरूलाल पिता छोगालाल डांगी
3. रतनलाल पिता छोगालाल डांगी
   तीनो निवासी चरलिया गदिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. मु0 उदीबाई पत्नि उदयराम डांगी पुत्री छोगालाल डांगी
   निवासी गिलुण्ड तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़
5. मु0 नारूबाई पत्नि लदेराम डांगी पुत्री छोगालाल डागी
   निवासी खोडीप तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. मु0 दलुबाई बेवा छोगालाल डांगी उम्र वयस्क
   निवासी चरलिया गदिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. शांतिलाल पिता बालु डांगी
2. मु0 रतनीबाई पुत्री बालु डांगी
3. मु0 जानीबाई पुत्री बालु डांगी
4. मु0 सोहनी बाई पुत्री बालु डांगी
   सभी निवासी चरलिया गदिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5. राज्य जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा
6. उप–पंजीयक निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय ,उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
दिनांक 02.01.2017 प्रकरण सं. 20/2016

उपस्थित – 1. श्री नरेन्द्र कुमार नाहर – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1 से 4

निर्णय दिनांक– 01.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा, बंटवाडा, स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पुश्तैनी पैतृक संयुक्त शामिल आधिपत्य की आराजीयात खाता नम्बर 44 से उल्लेखित कुल किता 10 रकबा 3.13 है0 एवं खाता संख्या 45 मे उल्लेखित आराजी नम्बर 39 रकबा 0.43 है0 ग्राम चरलिया गदिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ मे स्थित है। उक्त

आराजीयात वादीगण के दादा एवं ससूरजी कवलाजी के जमाने से चली आ रही है। कवलाजी का निधन हो गया। कवला के दो पुत्र बालू एवं छोगा तथा एक पुत्री हुडीबाई हुई। बालूजी का निधन 1 वर्ष पूर्व हो गया। वादीगण रेस्पोडेन्ट बालू जी के वारिसान है। अपीलार्थी प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के पिता एवं पति छोगाजी का निधन सन् 2000 मे कवलाजी के जीतेजी हो गया। खाता संख्या 44 मे उल्लेखित आराजीयात मे वादीगण/प्रतिवादीगण का 1/2 हक एवं हिस्सा निहित है। खाता संख्या 45 की आराजीयात को कवलाजी ने अपने छोटे पुत्र छोगा जी के नाम से ली थी। कृषि भूमि छोगाजी के नाम से दर्ज थी। उक्त आराजीयात पर वादी प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा चआ आ रह था। वादीगण के दादाजी कवलाजी ने 35 वर्ष पूर्व अपने जीवनकाल मे आराजीयात का बंटवाडा कर दिया। वादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर लगातार एडवर्स पजेशन से वादीगण खाता संख्या 45 की आराजी नम्बर 39 रकबा 0.43 है0 के खातेदार काश्तकार हो गये। प्रतिवादीगण 35 वर्ष पूर्व किये गये बंटवाडा मानने से इंकार हो गये। अतः खाता संख्या 45 के आराजीयात का बंटवाडा कराया जाकर वादीगण प्रतिवादीगण का 1/2 क एवं हिस्सा अलग कराया जाकर अलग खातेदारी रेवेन्यू रिकार्ड मे दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण वादीगण के हक एवं हिस्से की कब्जे की भूमि मे प्रतिवादीगण बेदखल नही करे, तथा रहन एवं बक्षीस नही करे, इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर कार्यवाही का आदेश प्रदान किया। खाता संख्या 45 की आराजीयात को संयुक्त परिवार की संयुक्त आय से खरीद करना मानकर वादीगण 1/2 हिस्सा घोषित किया। खाता संख्या 44,45 की आराजीयात का 1/2, 1/2 हक एवं हिस्से के अनुसार वादीगण हक एवं हिस्से के अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा कर कब्जे के अनुसार बंटवाडा की प्राथमिक एवं डिक्री निर्णय दिनांक 02/1/2007 को पारित किया। संयुक्त परिवार की आय से खाता संख्या 45 की आराजीयात छोगालाल मृतक के नाम से क्रय किये जाने की दस्तावेजी और मौखित साक्ष्य रिकार्ड पर लेखबद्ध हुई। खाता संख्या 45 की आराजीयात कवलाजी के पैतृक सम्पत्ति होने का कोई रेवून्यू रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया गया। दस्तावेजी रेवेन्यू रिकार्ड से विवादित खाता संख्या 45 की आराजी नम्बर 39 रकबा 0.43 है0 अप्रार्थीगण के स्वअर्जित सम्पत्ति है। पैतृक सम्पत्ति का कोई रेवेन्यू रिकार्ड प्रस्तुत नही हुआ। पारिवारिक सेटलमेन्ट प्रदर्श–7 ए पर कवलाजी के कोई हस्ताक्षर नही है। वादीगण ने दावा संवत् 2072 यानि 2016 मे प्रस्तुत किया। प्रतिवादी मु0 उदीबाई छोगा जी पुत्री होकर उसका विवाह

उदेराम के साथ होकर गांव ससुराल गिलुण्ड मे निवास करती है। प्रतिवादी संख्या 5 नारूबाई की शादी श्रीलदेरामजी डांगी के साथ होकर अपने ससुराल खोडीप मे निवास करती है। प्रतिवादी संख्या 4,5 आने माता के साथ ग्राम चरलिया गदिया मे निवास नही करती है। प्रतिवादी संख्या 4,5 पर कभी सम्मन की तामील नही हुई। प्रतिवादी संख्या 1,2,3 व 6 ग्रामीण क्षैत्र के निवासी है। राजस्थान काश्तकारी अधीनियम के नियम 18 से 21 के अनुसार अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी कृषि भूमि का विभाजन करने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय अपास्त फरमाया जाकर प्रकरण पुनः कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता संख्या 44 एवं 45 राजस्व ग्राम चरलिया गदिया तहसील निम्बाहेडा को लेकर निर्णय पारित किया गया जिसमे खाता संख्या 44 शामलाती है जबकि खाता संख्या 45 मे 1/2 हिस्सा दर्ज है। न्यायालय द्वारा जारी सम्मन विधिवत तामील प्राप्त नही हुए है। भवंरलाल के बजाय रतनलाल को तामील हुए है। इसी प्रकार उदीबाई जो कि विवाहित है, का सम्मन उनकी माता दल्लुबाई को प्राप्त हुआ। नारूबाई का सम्मन भी उनकी माता को प्राप्त हुआ। भेरू व रतन की तामील हुई लेकिन पेशी पर नही पहूॅचे। दल्लुबाई को स्वंय को नोटिस प्राप्त हुआ है। यह सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है। अपील के पेरा 3 मे छोगालाल को आंवटन होने का उल्लेख है, जिसका बंटवाडा नही हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रदर्श–2 खाता संख्या उल्लेख है तथा प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल इस प्रकरण मे दिनांक 23/03/2017 को राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिया था जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 28/02/2017 निर्धारित थी परन्तु उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11/02/2017 को अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। इस प्रकार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख निर्णय विधिसम्मत नही होने के कारण खारीज होने योग्य है।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राटिएक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया गया। खाता संख्या 45 मे 1/2 हिस्सा की घोषणा चाही गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दावे की कलम संख्या 2 मे पुश्तैनी होने का उल्लेख किया गया है तथा क्रम संख्या 3 संयुक्त कब्जा होना बताया है। प्रदर्श–7 ए जो पारिवारिक लिखत –पढत है से जाहिर है कि सम्पत्ति पैतृक/ संयुक्त है। जहां तक तामील का प्रश्न है

दिनांक 21/03/2016 प्रतिवादी संख्या 1 की तामील नही हुई थी जिसके कारण दिनांक 13/04/2016 को पुनः तामील जारी की गई। दिनांक 27/04/2016 को कोर्ट नही लगी तथा दिनांक 28/09/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 की तामील हुई जिसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। भंवरलाल की तामील उनके पुत्र रतनलाल को हुई है जो विधिसम्मत है। इसके बाद पत्रावली साक्ष्य मे चली गई। दिनांक 19/12/2016 को कमिश्नर की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 48 पर उपलब्ध है। इस प्रकरण मे अंतिम डिक्री दिनांक 11/02/2017 को पारित हो चुकी है जिसका अमल दरामद भी हो गया है। यह अपील प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध है। अंतिम डिक्री के खिलाफ अभी तक कोई अपील नही हुई है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलान्ट खारीज होन` योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण मे मुख्य बिन्दू तामील को लेकर उठाया गया है जो सही नही है। उदीबाई एव ंनारूबाई की तामील उनकी माता एवं भंवरलाल की तामील उनके पुत्र को हुई है जो प्रोपर तामील की परिभाषा मे आता है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा समस्त रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है। फलतः अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 20/2016 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02/01/2017 को यथावत रखते अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़